

सं० सं०-02 / रेगु०-2-800-03 / 2019—944
बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेषक,

सेवा में,

उदय कुमार सिंह (भा० प्र० से०),
ईखायुक्त, बिहार।

दखलकार / कार्यपालक अध्यक्ष / महाप्रबंधक / प्रबन्धक

- बिहार राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिलों।
- मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान सुगर लिं, प्रतापपुर, देवरिया, (उ० प्र०)।

पटना, दिनांक—

२५.०६., 2019

विषय :

गन्ना सर्वेक्षण सत्र 2018-19 वास्ते पेराई सत्र 2019-20 के लिए ईख आच्छादित क्षेत्रों का संयुक्त सर्वेक्षण के सम्बन्ध में।

महाशय,

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 में अन्तर्निहित प्रावधानों के आलोक में प्रत्येक पेराई सत्र में चीनी मिलों के परम्परागत एवं अपराम्परागत आरक्षित क्षेत्र में गन्ने के आच्छादन का संयुक्त सर्वेक्षण कर गन्ने की संभावित उत्पादन का ऑकलन किया जाता है एवं उसी आधार पर गन्ना कृषकों द्वारा उत्पादित गन्ने की सामयिक खपत हेतु क्लैण्डर तैयार कर पर्ची वितरण की योजना तैयार की जाती है। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि इस व्यवस्था में सुधार के निमित्त, उसे गन्ना कृषकों के लाभार्थ बदलते समयानुकूल आधुनिक तकनीकी संसाधनों के उपयोग का समावेश करते हुए और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस निमित्त गन्ने के सर्वेक्षण में शुद्धता हेतु गत तीन सर्वेक्षण सत्रों से जी०पी०एस० सिस्टम को उपयोग में लाया गया जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है। साथ ही गन्ने के आपूर्ति एवं गन्ने के मूल्य भुगतान से संबंधित सूचनाओं को समय किसानों को उपलब्ध कराने हेतु “गन्ना प्रबंधन सूचना प्रणाली” को लागू किया गया। उपरोक्त के साथ सर्वेक्षण प्रक्रिया, निरीक्षण एवं अनुश्रवण, सर्वेक्षण सूचियों का प्रदर्शन, नये किसानों के नाम का समावेश एवं ऊपज बढ़ोत्तरी हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र एवं उसके निस्तारण, क्लैण्डरिंग का निर्माण, प्रकाशन एवं उसका किसानों के बीच परिचय पत्र के साथ वितरण के संबंध में “नये सर्वेक्षण नीति-2019” अन्तर्गत निम्नांकित निर्देशों को जारी किया जाता है एवं उनका सख्ती से पालन हेतु आदेश दिया जाता है:-

1. गन्ना सर्वेक्षण की प्रक्रिया:-

1.1 सर्वेक्षण प्रणाली:-

गन्ना सर्वेक्षण का कार्य मीट्रिक प्रणाली पर आधारित होगा।

1.2 सर्वेक्षण की समय-सारणी:-

प्रथम: गन्ना सर्वेक्षण का कार्य दिनांक-20.05.2019 से आरम्भ कर दिनांक 30 जून 2019 तक प्रत्येक दशा में परिशिष्ट-3 में दी गयी समय-सारणी के अनुसार पूर्ण किया जायेगा तथा इस हेतु तैयार किये गये संयुक्त सर्वेक्षण कार्यक्रम की एक प्रति संबंधित ईख पदाधिकारी, सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर एवं ईखायुक्त के

कार्यालय में भी उपलब्ध रहेगी। इसी प्रोग्राम के आधार पर जाँचकर्ता अधिकारी गाँव में जाकर आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।

- 1.3 जिला पदाधिकारी की अनुमति से सर्वेक्षण कार्य में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षकों को भी शामिल किया जा सकता है। राजस्व अभिलेखों की जानकारी संबंधित कृषकों से प्राप्त किया जाए तथा उसकी सम्पुष्टि आवश्यकतानुसार अंचल पदाधिकारी के माध्यम से सम्पन्न की जाय। इस संबंध में आवश्यक सहयोग हेतु जिला पदाधिकारी को विभाग द्वारा अलग से पत्र भेजा जा रहा है।

घोषणा पत्र की प्राप्ति अनिवार्य

- 1.4.1 सर्वेक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व सभी किसानों से उनके द्वारा लगाये गये गन्ना के क्षेत्रफल के संबंध में परिशिष्ट-1 में निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय। प्राप्त घोषणा पत्र का शत-प्रतिशत सत्यापन सर्वेक्षण के समय किया जाए। घोषणा पत्र में कृषकों का बैंक एकाउन्ट नम्बर (पूर्ण विवरण सहित) उनका मोबाईल नम्बर, उनसे गन्ने आपूर्ति स्थल की जानकारी (मिल गेट क्रय केन्द्र) एवं उनके द्वारा किस साधन से गन्ने की आपूर्ति की जायेगी (ट्रक/ट्रैक्टर/टायर गाड़ी/बैलगाड़ी) संबंधित जानकारी भी प्राप्त किया जाय।
- 1.4.2 यदि किसी किसान द्वारा अपरिहार्य कारणवश घोषणा-पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका तो सर्वेक्षण के समय संबंधित किसानों से घोषणा-पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तथा मौके पर ही उसका सम्पादन किया जाय।
- 1.4.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि जो किसान घोषणा पत्र उपलब्ध नहीं करायेंगे, आगामी पेराई सत्र 2019–20 में उनकी गन्ना आपूर्ति लेना सम्भव नहीं होगा।

गन्ना सर्वेक्षण हेतु कार्यक्रम का निर्धारण:-

गन्ना सर्वेक्षण हेतु संयुक्त दल का गठन एवं दल के विस्तृत कार्यक्रम का निर्धारण चीनी मिल द्वारा ईख पदाधिकारी/विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी से परामर्श कर दिनांक-15.05.2019 से पूर्व कर लिया जाय। सर्वेक्षण दल में सहायक निदेशक/उप निदेशक, ईख विकास के कर्मचारी भी भाग लेंगे जिनको प्रतिनियुक्ति की जानकारी चीनी मिल को संबंधित सहायक निदेशक/उप निदेशक, ईख विकास द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। चीनी मिल सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं उसमें लगे कर्मियों की पूर्ण सूचना संबंधित ईख पदाधिकारी, सहायक निदेशक/उप निदेशक, सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर एवं ईखायुक्त को दिनांक-15.05.2019 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे एवं निर्गत मार्गदर्शन के अनुरूप सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करायेंगे।

- 1.5.1 बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1981 की धारा 34 के प्रावधानों के अंतर्गत संयुक्त रूप से किए गये गन्ना सर्वेक्षण में होने वाले व्यय संबंधित चीनी मिलें वहन करेगी। सर्वेक्षण दल में चीनी मिल के कर्मियों के साथ सहायक निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास के कार्यालय में उपलब्ध स्टाफ/कर्मचारी भाग लेंगे जिनकी दो माह हेतु प्रतिनियुक्ति संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास द्वारा की जायेगी तथा उसकी सूचना संबंधित चीनी मिल, ईख पदाधिकारी एवं ईखायुक्त को दी जायेगी।

- 1.5.2 गन्ना सर्वेक्षण के प्रयोजन हेतु प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र में समुचित स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए 500 हेक्टेयर तक की अस्थायी सर्किल बनायी जायेगी।
- 1.5.3 गन्ना सर्वेक्षक-कम-सहायक (चैनमैन) की संख्या चीनी मिलों द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- 1.5.4 प्रत्येक चीनी मिल के लिए ईखायुक्त/विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी/सहायक निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास, गन्ना सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रभारी पदाधिकारी होंगे तथा सर्वेक्षण के कार्य को शुद्धता से सम्पन्न कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।
- 1.5.5 गन्ना सर्वेक्षण टीम में उन्हीं कर्मचारियों को रखा जायेगा, जो गन्ना सर्वेक्षण की मूलभूत जानकारी रखते हों। आवश्यकतानुसार गन्ना सर्वेक्षण टीम को मिल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाए जिसमें विभागीय पदाधिकारी एवं चीनी मिल के पदाधिकारी सर्वेक्षण टीम को सरकार द्वारा इस निमित्त निर्गत मार्गदर्शन की जानकारी देंगे। प्रशिक्षण सम्पन्न होने पर सर्वे टीम को समस्त वांछित अभिलेख/सामग्री उपलब्ध करा दिये जाय।
- 1.5.6 चीनी मिल एवं स्थानीय ईख पदाधिकारी द्वारा टीमवार, तिथिवार, ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण कार्यक्रम का विधिवत् प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इस निमित्त गन्ना कृषकों को सर्वेक्षण की सूचना उनके मोबाइल नम्बर पर भी भेजना सुनिश्चित किया जाए जिससे कि सर्वे टीम के गांव में पहुंचने की जानकारी कृषकों को पूर्व में ही हो सके एवं उनका पूर्ण सहयोग सर्वे कार्य में मिल सके।
- 1.6 पूर्व वर्ष के सर्वेक्षण अभिलेखों की अभिरक्षा:-**
- 1.6.1 वर्तमान फसल का सर्वेक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व संबंधित चीनी मिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्षों के समस्त केन सर्वे रजिस्टर से संबंधित ईख पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करा लिए गये हैं। वे इस आशय का प्रमाण-पत्र ईख पदाधिकारी से प्राप्त करेंगे। संबंधित ईख पदाधिकारी इन अभिलेखों को अपने कार्यालय में अपनी अभिरक्षा में अनुरक्षित करेंगे ताकि पूर्व वर्ष के आंकड़ों के आधार पर बिना प्लाटवार माप किये ही सर्वेक्षण अभिलेख तैयार करने की संभावना को समाप्त किया जा सके।
- 1.6.2 गत वर्ष के सर्वेक्षण से संबंधित ऑकड़ों को चीनी मिलों के कम्प्यूटर में भी अनुरक्षित किया जायेगा। इन ऑकड़ों को कम्प्यूटर सी०डी० पर अनुरक्षित कर लेने के उपरान्त गत वर्ष कराये डाटा को कम्प्यूटर से हटा दिया जायेगा।
- 1.6.2(1) बिहार गन्ना प्रबंधन सूचना प्रणाली (BSMIS)**

कृषकों को गन्ने के सर्वेक्षण की जानकारी, गन्ना आपूर्ति हेतु अधिसूचना पत्रों के निर्गमन की जानकारी एवं गन्ना मूल्य भुगतान एवं अन्य जानकारी उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत बिहार गन्ना प्रबंधन सूचना प्रणाली (BSMIS) गत वर्ष की भाँति चालू वर्ष में भी लागू रहेगा एवं उस आलोक में प्रत्येक चीनी मिल में वेबसाइट एस०एम०एस०, आई०भी०आर०एस० तथा हैन्ड हेल्ड कम्प्यूटर सिस्टम लागू करने की अनिवार्यता होगी।

उपरोक्त सूचना प्रणाली का लाभ गन्ना कृषकों को पहुँचाने के दृष्टिगत गन्ना सर्वेक्षण के कार्य में निम्न प्रकार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायें जायें:-


1. सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी किसानों से उनके द्वारा लगाये गये गन्ना क्षेत्रफल के संबंध में निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-1) पर धोषणा पर अनिवार्य रूप में भरने के संबंध में एस०एम०एस० के माध्यम से कृषकों को सूचना भेजी जाय।
2. सर्वे टीम के क्षेत्र में जाने की तिथि, सर्वेयर के नाम व मोबाइल नम्बर की सूचना तीन दिन पूर्व एस०एम०एस० के माध्यम से कृषकों को भेजी जाय।
3. सर्वेक्षण कार्य में हैन्ड हैल्ड कम्प्यूटर (HHT) का प्रयोग किया जाय। पुराने एच०एच०टी० से यथा संभव जी०पी०एस० जोड़ने की व्यवस्था की जाय।
4. कृषकों के खेतों का सर्वे करने के उपरान्त उनके खेतों के रकवे से संबंधित सूचनाएं एस०एम०एस० के माध्यम से कृषकों को भेजी जाय।
5. ग्रामों में सर्वे सूचियों का प्रदर्शन करने से तीन दिन पूर्व इसकी सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से कृषकों को भेज दी जाय।
6. सर्वे कार्य से संबंधित आंकड़ों को चीनी मिलें अपनी वेबसाइट पर दैनिक रूप से अपलोड कराती रहेंगी तथा अन्तिम रूप से सर्वे पूर्ण होने के उपरान्त समस्त विवरण व आंकड़े चीनी मिलें अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगी तथा इसकी सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से कृषकों को भेजी जायेगी।
7. चीनी मिलों की वेबसाइट पर आंकड़े अद्यतन रहें, तदनुसार बेवर की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

1.6.2(2) गन्ना सर्वेक्षण में जी०पी०एस० का प्रयोग:

पेराई सत्र 2019–20 के लिए गन्ना सर्वेक्षण का कार्य जी०पी०एस० के माध्यम से कराया जाय। जी०पी०एस० के सर्वेक्षण कार्य में शुद्धता व समय की बचत रहेगी साथ ही सर्वे में त्रुटियों की संभावना भी कम होगी। सर्वे पर व्यय भी कम होगा तथा विचौलियों से भी बचा जा सकेगा। उपरोक्त आलोक में पेराई सत्र 2019–20 के लिए गन्ने के सर्वेक्षण में जी०पी०आर०एस० का प्रयोग किया जाय।

1.7 सर्वेक्षण की विधि:—

- 1.7.1 सर्वेक्षण का कार्य किसानों से ईख आच्छादित प्लॉट का राजस्व विवरण प्राप्त करते हुए विभाग द्वारा निर्धारित गश्ती केन रजिस्टर (Computerised) के प्रारूप पर किया जायेगा तथा उसकी दो प्रतियां तैयार की जायेगी।



- 1.7.2 गन्ना सर्वेक्षण के समय खेत उसी किसान के नाम अंकित किया जायेगा, जिसके नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि अंकित हो/जो उस भूमि में हिस्सेदार हों। किन्तु भू-स्वामी रेल राजस्व वन एवं सिंचाई विभाग द्वारा यदि किसी किसान को पट्टे पर भूमि दी गई है तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी/संबंधित भू-स्वामी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किये जाने पर बोये गये गन्ने का सर्वेक्षण पट्टेदार के नाम किया जायेगा।
- 1.7.3 गन्ना सर्वेक्षण कार्य प्रत्येक खेत की कम—से—कम चारों भुजाओं को नापते हुए क्षेत्रफल की गणना की जायेगी।
- 1.7.4 गन्ना सर्वेक्षण करते समय अन्य सूचनाओं के साथ—साथ गन्ने की प्रजातियों के नाम फसल की दशा आदि का विवरण सही प्रकार अंकित किया जायेगा जिसमें खेत यदि पौधशाला अथवा प्रदर्शन के रूप में बोया गया है तो उसका क्षेत्रफल भी अंकित किया जायेगा।
- 1.7.5 सर्वेक्षण करते समय किसान द्वारा उपलब्ध कराये गये घोषणा पत्र का परीक्षण करके सर्वे टीम द्वारा पुष्टि की जायेगी। सर्वेक्षणकर्ता सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किये गये विवरण के आधार पर किसानों द्वारा उपलब्ध कराये गये घोषणा पत्र की प्रविष्टियों का भी सत्यापन करेंगे। यदि यह पाया जाता है कि घोषणा पत्र में जानबूझकर गलत प्रविष्टि दर्शायी गई है, तो परिशिष्ट-1 के नोट संख्या-3 के अनुसार कार्रवाई हेतु अलग से परिशिष्ट-4 पर सूची उपलब्ध करायेंगे।
- 1.7.6 सर्वेक्षण के दौरान एकत्र विवरण संबंधित चीनी मिल के प्रभारी एवं विभागीय प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रमाणित होने के बाद के अभिलेखों के रूप में रखा जायेगा तथा इन प्रमाणित अभिलेखों को चीनी मिल में उपलब्ध कम्प्यूटर में अनुरक्षित किया जायेगा।
- 1.7.7 सर्वेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त विभागीय पदाधिकारी प्रत्येक शनिवार को सर्वेक्षण की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट संबंधित ईख पदाधिकारी, सहायक ईखायुक्त, मुजफ्फरपुर एवं ईखायुक्त को उसी दिन उपलब्ध करायेंगे। ईख पदाधिकारी प्राप्त रिपोर्ट को अपने कार्यालय में संकलित करेंगे। प्राप्त प्रतिवेदनों का संकलन ईखायुक्त कार्यालय के साखियकी शाखा द्वारा भी सुनिश्चित की जायेगी।
- 2. गन्ना सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण एवं अनुश्रवणः—**
- 2.1 गन्ना सर्वेक्षण का आकस्मिक निरीक्षण तथा प्रगति का अनुश्रवण समय—समय पर ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/सहायक निदेशक/उप निदेशक/संयुक्त निदेशक, ईख विकास द्वारा किया जायेगा। ईखायुक्त के स्तर से इस निमित्त संयुक्त जाँच दल का भी गठन किया जायेगा। उपरोक्त नामित पदाधिकारी किये गये सर्वेक्षण जाँच से संबंधित प्रतिवेदन प्रधान सचिव, पटना को उपलब्ध करवायेंगे।
- 2.2 आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय विकास परिषदों की जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन कर ऐसे ग्रामों की सूची तैयार कर ली जाय, जिन गांवों में विगत पेराई सत्र में गन्ना सर्वे संबंधी अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी। निरीक्षणकर्ता अधिकारी इन गांवों को अपने निरीक्षण में आवश्यक रूप से सम्मिलित करेंगे।



- 2.3 सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर अपने परिक्षेत्र से संबंधित सर्वे निरीक्षण रिपोर्ट पाक्षिक रूप से प्रधान सचिव, पटना को प्रेषित करेंगे।
- 2.4 सर्वेक्षण एवं सत्यापन का कार्य निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा परिशिष्ट-3 में दिये गये मानक के अनुसार किया जाए। अतः समस्त चीनी मिलों एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति समयान्तर्गत सुनिश्चित करेंगे।
- 2.5 सर्वेक्षण के दौरान गन्ना कृषकों का गन्ना से अच्छादित प्लाट/खेत का कुल रकवा 15 एकड़ से अधिक होने की स्थिति में संबंधित सर्वेयर एवं उनके वरीय पदाधिकारी वैसे किसानों का अलग से सूची बनाकर ईखायुक्त को प्रेषित करेंगे तथा इसकी सूचना ईख पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी को निश्चित रूप से देंगे।
- 2.6 सर्वेक्षण आरंभ करने के पूर्व सभी ईख पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन चीनी मिलों से पिछले वर्ष के सर्वेक्षण से संबंधित सभी आकड़े सी०डी० में प्राप्त कर उसकी एक प्रति ईखायुक्त को उपलब्ध करवायेंगे। इसके अतिरिक्त गत पेराई सत्र में जिन-जिन किसानों से गन्ना की आपूर्ति ली गई है, उन किसानों की पूर्ण विवरण के साथ सूची अर्थात् सर्वेक्षित रकवा, उसके विरुद्ध निर्गत अधियाचना पत्रों की संख्या, आपूर्ति की गई ईख की मात्रा एवं उसका मूल्य एवं भुगतान की गई राशि का विवरण भी उपलब्ध कराया जाय।
- 2.7 सर्वेक्षण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों का विवरण अलग बनाया जाय एवं चिन्हित किया जाय।
- 2.8 सभी सर्वेक्षित किसानों के आधार पर माह सितम्बर 2019 को सभी किसानों का उनके खेतों के गन्ना पेराई का schedule उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. सर्वेक्षण से संबंधित ग्राम स्तरीय बैठकें एवं सर्वेक्षण सूचियों को प्रदर्शन:-

- 3.1 ग्रामवार प्रदर्शन की तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार पैम्पलेट/समाचार पत्र एवं मोबाइल नम्बर आदि के माध्यम से किया जाए एवं प्रदर्शन का कार्य सार्वजनिक स्थल पर किया जाय।
- 3.2 सर्वेक्षण समाप्ति के बाद गश्ती केन सर्वे रजिस्टर को दिनांक-1 जुलाई 2019 से 20 जुलाई 2019 के बीच प्रत्येक ग्राम में एक बैठक रखकर ग्रामवार प्रदर्शन कर अन्तिम किया जायेगा। संबंधित चीनी मिल एवं विभाग द्वारा सर्वेक्षण कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे।
- 3.3 ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण सूचियों के प्रकाशन के पश्चात प्रत्येक गांव के प्रजातिवार खूंटी/मोरहन (पौधा) के क्षेत्रफल का संकलित विवरण तैयार किया जायेगा, जिस पर संबंधित चीनी मिल के प्रबंधन एवं प्रतिनियुक्त विभागीय पदाधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।
- 3.4 सर्वेक्षण सूची के प्रदर्शन के दौरान किसी कृषक का गन्ना क्षेत्रफल छूट गया है अथवा गलत अंकित हो गया है तो ऐसे कृषकों की शिकायत को एक पंजिका में सूचीबद्ध करते हुए 15 दिन के अन्दर संबंधित चीनी मिल के ईख प्रबन्धक एवं विभाग द्वारा सर्वेक्षण कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की गठित कमेटी द्वारा निस्तारण किया जायेगा। सभी आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात सर्वेक्षण सूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा एवं उसकी एक प्रति संबंधित ईख पदाधिकारी, सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर एवं ईखायुक्त को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 3.5 चीनी मिल क्षेत्रवार कृषकों के प्री-कलेण्डर का वितरण दिनांक-31 अक्टूबर 2019 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर दिया जाय। प्री-कलेण्डर वितरण के उपरान्त जो शिकायतें प्राप्त होंगी अथवा अधिक पैदावार संबंधी आवेदन-पत्र होंगे, का निस्तारण करने के उपरान्त,

परिचय पत्र के साथ अन्तिम कलेण्डर का वितरण किया जायेगा। परिचय पत्र सहित अन्तिम कलेण्डर मिल चलने के एक सप्ताह पूर्व वितरित किया जाना अनिवार्य होगा।

4. नये सदस्यों के नाम का समावेश :-

पेराई सत्र 2019-20 के लिए 31 जुलाई, 2019 तक बनाये गये सदस्यों को ही गन्ना आपूर्ति की सुविधा अनुमान्य होगी। नये सदस्य बनाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। मृतक सदस्यों के वारिस सदस्यों को नियमानुसार ही नये सदस्यों से उनकी तीन प्रतियों में पासपोर्ट साइज की फोटो एवं बैंक खाता नम्बर भी लिया जाय, जिसके समिति अभिलेखों में अनुरक्षित किया जाय।

5. उपज बढ़ोत्तरी हेतु प्रार्थना-पत्रों की प्राप्ति व निस्तारण:-

5.1 क्राप कंटिंग प्रयोगों के आधार पर प्रत्येक चीनी मिल के लिए प्रति हेक्टेयर औसत उपज जिलावार निकाली जाती है। कुछ किसानों द्वारा यह मांग की जाती है कि उनके खेत में उत्पादकता औसत उपज से अधिक है तथा इसके आधार पर उनकी उपज एवं कुल गन्ना उत्पादन को संशोधित करके बेसिक कोटा/सट्टे का आंकलन किया जाय। यह अपेक्षा की जाती है कि उपज बढ़ोत्तरी संबंधी समस्त आवेदन-पत्र दिनांक-15 सितम्बर 2019 तक एकत्र कर लिए जाय तथा प्राप्ति के क्रम में रजिस्टर में पंजीकृत किए जाय।

5.2 संबंधित चीनी मिल के इख प्रबन्धक एवं सर्वेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त विभागीय पदाधिकारी संयुक्त रूप में आवेदनकर्ता किसानों के उपज की शत-प्रतिशत जांच कराकर उपज के वास्तविक आंकड़े सम्बन्धित सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर प्रस्तुत करेंगे। ऐसे 25 प्रतिशत, न्यूनतम 50 प्लाटों की उनके द्वारा स्वयं जांच की जायेगी। स्थिति से सन्तुष्ट होने पर सहायक ईखायुक्त, मुजफ्फरपुर ऊपज बढ़ोत्तरी पर उचित निर्णय लेंगे।

यह आशा की जाती है कि प्रत्येक चीनी मिल के दखलकार/कार्यपालक अध्यक्ष/महाप्रबन्धक/ईख प्रबन्धक अपने कुशल नेतृत्व में सर्वेक्षण का यह अति महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण सत्यता तथा स्थलीय स्थिति के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जायेगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

विश्वसनात्मक
(उदय कुमार सिंह)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02 / रेगु०-२-८००-०३/२०१९- ९४४

पटना, दिनांक 25.06.2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं कार्यान्वयन हेतु प्रेषित।

1. सहायक ईखायुक्त, मुजफ्फरपुर/संयुक्त निदेशक (ईख विकास), बिहार, पटना।
2. सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास।
3. सभी ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी।
4. निदेशक, गन्ना किसान संस्थान, पूसा।
5. समाहता, सारण/सीवान/गोपालगंज/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी/शिवहर/समस्तीपुर/बेगूसराय।
6. आई.टी. प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वसनात्मक
(उदय कुमार सिंह)
ईखायुक्त, बिहार।

टिप्पणी

1. सर्वेक्षक चेकिंग का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाय कि सभी चीनी मिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र किसी न किसी पर्यवेक्षकीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण से आच्छादित हो जाय। निरीक्षण अधिकारी निर्धारित लक्ष्य के 50 प्रतिशत ऐसे प्लाट की जांच करेंगे जो उसके अधीनस्थ स्टाफ ने जांच की हो शेष 50 प्रतिशत नये प्लाट की जांच की जायेगी।
2. सर्वेक्षण पूर्ण कराकर सम्बन्धित विभागीय कार्यालयों को सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व अपने परिक्षेत्र के लिए सम्बन्धित चीनी मिल एवं ईख पदाधिकारी को होगा। अपने अंचल में उक्त ऑकड़ों को प्राप्त कर ईखायुक्त को सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित ईख पदाधिकारी का होगा।
3. सर्वेक्षण की जांच में 5 प्रतिशत से अधिक अन्तर पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
4. सर्वेक्षण कार्यों के समय सभी चीनी मिलों अपने क्षेत्र से सम्बन्धित ग्रामों की क्रमांकवार सूची तैयार करेंगे तथा पहले क्रमांक से लेकर अन्तिम क्रमांक तक सर्वेक्षण का कार्य सम्पादित करेगी। इसकी जानकारी चेकिंग पदाधिकारी को दी जायेगी। सर्वप्रथम उन ग्रामों से सर्वेक्षण/चेकिंग का कार्य प्रारम्भ किया जाय, जहाँ से गत वर्ष शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसकी एक सूची चीनी मिल एवं संबंधित ईख पदाधिकारी के कार्यालय में अनुरक्षित रखी जायेगी।


(उदय कुमार सिंह)
ईखायुक्त,
बिहार, पटना।


परिशिष्ट-3

1. सर्वेक्षण कराने हेतु निर्धारित तिथियाँ:-

क्र० सं०	विवरण	प्रथम सर्वेक्षण
01.	सर्वे टीम का चयन, प्रशिक्षण सर्वे सामग्री एवं अभिलेख उपलब्ध कराने तथा तिथिवार ग्रामवार प्रचार	15 मई 2019 के पूर्व।
02.	सर्वेक्षण आरम्भ करने की तिथि	20.05.2019 या उसके पूर्व
03.	सर्वेक्षण पूर्ण करने की तिथि	30 जून 2019 तक।
04.	प्रथम सर्वे का विवरण ईखायुक्त कार्यालय के सांचियकी प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराने की तिथि।	7 जुलाई 2019 तक।
05.	पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण एवं सत्यापन।	7 मई से 10 जुलाई 2019 तक।
06.	ग्राम स्तरीय बैठकें एवं सर्वेक्षण सूची का प्रदर्शन	1 जुलाई से 20 जुलाई 2019 तक।
07.	किसानों से शिकायत पत्रों के प्राप्ति की तिथि	1 जुलाई से 20 जुलाई 2019 तक।
08.	शिकायत पत्रों के निरस्तारण की तिथि	15 जुलाई से 31 जुलाई 2019 तक।
09.	प्राप्त शिकायतों के निष्पादन की सूचना गन्ना आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करने की तिथि	7 अगस्त 2019।

2- प्रत्येक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में सर्वे की जाँच करने के लिए निर्धारित लक्ष्य:

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	जाँच हेतु निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य	निरीक्षण अवधि
01.	ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी	अपने अधिनस्त 50 खेत प्रति चीनी मिल/न्यूनतम 200 खेत	20 मई 2019 से 30 जून 2019 तक निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर, पटना को सौंपेंगे।
02.	सहायक निदेशक ईख विकास/चीनी मिल/उप निदेशक ईख विकास।	50 खेत प्रति चीनी मिल/न्यूनतम 400 खेत	20 मई 2019 से 30 जून 2019 तक निरीक्षण कर प्रतिवेदन सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर, पटना को सौंपेंगे तथा उसकी प्रति संबंधित ईख पदाधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।
03.	मुख्यालय के नामित नोडल अधिकारी (सहायक/संयुक्त ईखायुक्त/संयुक्त निदेशक, ईख विकास)	50 खेत प्रति जिला, न्यूनतम 200 खेत	1 जून 2019 से 10 जुलाई 2019 तक निरीक्षण कर प्रतिवेदन ईखायुक्त को सौंपेंगे।

परिशिष्ट-4

1. उन किसानों की सूची जिन्हें गलत घोषणा-पत्र देने के कारण पेराई सत्र 2019-20 में गन्ना आपूर्ति से वंचित किया जाना है :-

क्र० सं०	किसानों का नाम / गाँव	घोषणा-पत्र में अंकित गन्ना क्षेत्रफल			सर्वेक्षण के दौरान पाया गया गन्ना क्षेत्रफल		
		गन्ने की जाति	पौधा	पेड़ी	गन्ने की जाति	पौधा	पेड़ी
1	2	3	4	5	6	7	8

ईख प्रबंधक संबंधित चीनी मिल।

सर्वेक्षण दल में विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी

पेराई वर्ष 2019–20 के निमित्त चीनी मिल क्षेत्र के सर्वेक्षण कार्य के सम्पादन के निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारियों की सूची :-

क्रमांक	चीनी मिल का नाम	प्राधिकृत पदाधिकारी का पदनाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	बगहा	ईख पदाधिकारी, रामनगर अचल, बेतिया।	
2	हरिनगर	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	
3	नरकटियागंज	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया।	
4	लौरिया	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।	
5	मझौलिया	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना।	
6	सुगौली	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।	
7	(I) मोतिहारी मिल क्षेत्र। (II) मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत गोपालगंज जिले की चीनी मिलों द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने क्षेत्र	(I) सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी। (II) (क.) मोतिहारी जिला (I) सिध्वलिया क्षेत्र—उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी। (II) गोपालगंज क्षेत्र—सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर। (III) सासामुसा क्षेत्र—ईख पदाधिकारी, सीवान। (ख) मुजफ्फरपुर जिला—सिध्वलिया, गोपालगंज हसनपुर एवं साहेबगंज मुक्त क्षेत्र—ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	
8	रीगा	ईख पदाधिकारी मुजफ्फरपुर।	
9	हसनपुर	ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर।	
10	हरखुआ	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज।	
11	सिध्वलिया	विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज।	
12	सासामुसा	ईख पदाधिकारी, सीवान।	
13	प्रतापपुर	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा।	

प्राधिकृत पदाधिकारी अपना प्रतिवेदन सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर तथा साथ ही उसकी एक प्रति संबंधित क्षेत्र के ईख पदाधिकारी, तथा प्रधान सचिव/सचिव, पटना को निश्चित रूप से प्रेषित करेंगे। बनमंखी, लोहट, सकरी, रैयाम, बिहटा, वारिसलीगंज एवं गुरारू चीनी मिलों के कमान्ड एरिया का (आरक्षित क्षेत्र सहित) ग्रामवार, अंचलवार एवं जिलावार ईख का सर्वेक्षण संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास अपने कर्मियों के माध्यम से सम्पन्न करवायेंगे तथा उससे संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर, पटना को उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संबंधित चीनी मिलों के महाप्रबंधक से स्थायी कर्मियों की सेवायें प्राप्त कर सकते हैं।


 (उदय कुमार सिंह)
 ईखायुक्त,
 बिहार, पटना।

(परिशिष्ट-2)

कृषकवार सर्वे एवं सट्टा के आगणन एवं सूचियों के प्रदर्शन का प्रारूप

1. चीनी मिल का नाम.....

2. क्रय केन्द्र का नाम.....

3. प्राप्त / कोड..... 4. औसत उपज का हो.....

कृषक का नाम	पिता का नाम	(छान्दो) फूल कुपड़ी	गुना क्षेत्रफल (एकड़ में)						उत्पादन(कु)			उत्पादन का 85%(कु)			गुणना के अनुसार काटा			प्रभावी भूमि का अनुपात (कु)							
			जीघ पकने वाली	अच जाति	कुल क्षेत्रफल	(प्राप्त) उत्पादन	हाथ	पानी	पानी	पानी	पानी	पानी	पानी	पानी	पानी	पानी	पानी	पानी	पानी	पानी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

हो सार्किल इन्चार्ज

गुना निरीक्षक

सर्वेक्षण में भाग लेने वाले विभागीय प्रतिनिधि का हो।

प्रबन्धक चीनी मिल।